भारत सरकार आयकर विभाग

GOVERNMENT OF INDIA INCOME TAX DEPARTMENT

कार्यालय : आयकर आयुक्त–2, पुराना केन्द्रीय राजस्व भवन, मक्बूल रोड, अमृतसर–143001

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX-II, OLD C.R. BUILDING, MAQBOOL ROAD, AMRITSAR-143001

F.No. CIT-II/ASR/ITO(T)/12AA/2013-14/ 485 दिनांक/Dated 08-01-2014

आदेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA(1)(b)(i) के अधीन

संस्था का नाम	साईं आसरा पैराप्लेजिक रिहेब सेंटर (SAI AASRA PARAPLEGIC REHAB CENTRE)
पता	26- B कैनेडी एवेन्यू, अमृतसर। 26-B, KENNEDY AVENUE, AMRITSAR.
आदेश की तिथि	08-01-2014

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA(1)(b)(i) में निहित शक्तियों के तहत उपरोक्त संस्था को आयकर अधिनियम अधिनियम की धारा 12A के उद्देश्यों के लिए निर्धारण वर्ष 2014-2015 से पंजीकृत किया जाता है। इस आवेदन को इस कार्यालय द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA(1)(b)(i) के अंतर्गत रखे गए आवेदन रजिस्टर के क्रम सं0- 27/2013-2014 पर रिकार्ड किया गया है। पंजीकरण निम्न शर्तों के तहत न्याय संगत होगाः-

1. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA(1)(b)(i) के अतंर्गत पंजीकरण से सोसाईटी की आय को स्वतः छूट नहीं मिलेगी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA(1)(b)(i) के अतंर्गत पंजीकरण से दानकर्ता को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के अंतर्गत कोई छूट या कटौती की पुष्टि नहीं होती। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के अंतर्गत हितलाभ के लिए सोसाईटी को क्षेत्राधिकार वाले संबंधित आयकर आयुक्त के समक्ष निर्धारित फार्म में अलग अलग से आवेदन देना होगा।
2. संस्था/न्यास अपनी आय को पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों के लिए भारत में प्रयोग करेगी, जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयोग किए जाने हेतु संचित की जाती है वहां उस परिणाम तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गई आय कुल आय का पन्द्रह प्रतिशत या अन्य कोई प्रतिशत जो समय-समय पर आयकर अधिनयम की धारा 11 (2) की शर्तों का पालन करेगी।
3. संस्था/न्यास अपने निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 11(5) निर्दिष्ट स्वरूप और पद्धति के अनुसार रखेगी।
4. संस्था/न्यास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगी।
5. संस्था/न्यास अपनी आय का कोई भी अंश किसी विशिष्ट धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लाभ हेतु प्रयोग नहीं करेगी।
6. संस्था/न्यास आयकर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) एंव (3) में विर्दिष्ट के लाभ हेतु अपनी किसी आय या संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं करेगी।

निरन्तर पेज.2

7. यह प्रमाणपत्र के आधार पर सोसाईटी द्वारा किए गए निवेश पर स्त्रोत पर कटौती न किए जाने का दावा नहीं किया जा जा सकता। स्त्रोत कर कटौती न करने का दावा करने के लिए निर्धारण अधिकारी के समक्ष निर्धारित फार्म मे अलग से से आवेदन देना होगा।
8. निर्धारण अधिकारी सोसाईटी की गतिविधियों की वास्तविकता का सत्यापन कर सकता है तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11, 12 तथा 13 के संदर्भ में आवेदक सोसाईटी की आय के आयकर दायित्व का निर्धारण कर सकता है।
9. किसी सामान्य लोकोपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना पूर्त प्रयोजन नहीं होगा, यदि उसमें किसी उपकर या फीस या किसी प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारोबार की प्रकृति को कोई क्रियाकलाप किया जाना अंतर्वलित है, भले ही ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपभोग या उपयोजन अथवा उसके प्रतिधारण की प्रकृति कुछ भी हो। लेकिन अगर इन क्रियाकलापों से कुल प्राप्ति पूर्ववर्ती वर्ष में रू0 पच्चीस लाख या इससे कम है तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
10. निर्धारती को आयकर विवरणी नियमित रूप से दाखिस करनी होगी तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11,12 तथा 13 या किन्हीं अन्य प्रावधानों के प्रचालन का निर्णय प्रत्येक विचाराधीन वर्ष के अंतर्गत मामले की योग्यता के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अतः रजिस्ट्रेशन के लाभ की उपलब्धता आयकर नियम 1962 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों तथा विशेष रूप से जिन प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए आय को छूट के योग्य माना गया है तथा निधि को जमा करवाने के तरीके/निवेश/उपयोगिता के संबंधित प्रावधानों की शर्तों के आधार पर होगी। सोसाईटी को नियंत्रित करने संबंधी कोई भी विद्यमान या अनुवर्ती नियम तथा विनिमय जो कि आयकर नियम 1962 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के प्रतिकूल होंगे तो यह आदेश बातिल और शून्य माना जाएगा।
11. यदि इस कार्यालय के ध्यान में आता है कि यह प्रमाणपत्र अन्यथा कथन/गलत तथ्यों के आधार पर लिया गया है तो यह प्रमाणपत्र वापिस ले लिया जाएगा।

-Sd.
(सुशील कुमार अग्रवाल)
आयकर आयुक्त-2
अमृतसर।

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित-

1. अपर आयकर आयुक्त रेंज-5, अमृतसर।
2. उप आयकर आयुक्त, सर्कल-5, अमृतसर।
3. साईं आसरा पैराप्लेजिक रिहेब सेंटर, 26- कैनेडी एवेन्यू, अमृतसर।

(गुरमीत सिंह)
आयकर अधिकारी(तकनीकी)
कार्यालय आयकर आयुक्त-2,
अमृतसर।